

न्यायालय सहायक कलमर (FT)

श्री गंगानगर
कंस न्याया-चक्र 4 एल.एल.

वाक्य सं 2/2018
अन्तर्गत द्वारा 88-209 RJA

1) श्रीमती रापरानो धर्मवती स्व. श्री बलभर
सिंह, चक्र 2 एल.एल.

2) मंजीत सिंह 3) मोहन सिंह

4) बलभर सिंह 5) जसकोर सिंह @ मुड़ी
जायजन स्व. श्री बलभर सिंह, रापरानो
चक्र 2 एल.एल.

-वादीगण

VS


राज्य सरकार द्वारा तस्लीकर (राजस्व)
श्री गंगानगर

-प्रतिवादी

क्रि 4-5-XV/11

॥ निर्णय ॥

वाक्य सं 2/2018 के अनुसार वादीगण के
पति/पिता द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के अनुसार
क्रि 9 मई, 1984 द्वारा चक्र 2 एल.एल. के
मु.नं 57 प्लान नं 1 में 0.05 बीघा भूमि
श्रीमती की भूमि श्री बलभर सिंह की दिनांक
22-8-1988 को मृत्यु हो गयी हस्ताक्षरों के
द्वारा भूमि का कब्जा स्व. श्री बलभर सिंह के
परिचालन में वादीगण के पास चला जा रहा है किन्तु
भूमि का कब्जा स्व. श्री बलभर सिंह
एवं श्री बलभर सिंह की मृत्योपरांत वादीगण
के नाम कर्ष नहीं किया गया. इस प्रकार भूमि में
श्री भूमि चक्र 2 एल.एल. के मु.नं 57 प्लान
नं 1 (0.05) बीघा के लिये वादीगण को स्वतंत्र
वाक्य सं 2/2018 के तहत जमिंदारों से दायर किये गए
सिद्धांत किया गया. वाक्य सं 2/2018 के तहत 8/2018
में पंजीकृत के अनुसार क्रि 9 मई, 1984, जमा 8/2018
संक्रि 20/35, श्री बलभर सिंह की मृत्यु प्रमाण
क्रि 12-06-2000 एवं ग्राम पंचायत 4 LL



Munim

न्यायालय सहायक कलमर (फाउंडेशन)
श्री गंगानगर (राज.)



द्वारा जारी वारिसनामा कि 25-7-2000 की प्रतियां प्रस्तुत की गयीं.

शपथपत्र की दोस्तों के बीच वाद पत्र कि 4.5.2011 को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राज्यहित की ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाने का मित्र दून किया गया.


साइय पत्रि हेतु श्रीमती शारदाजी द्वारा उपस्थित जागर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया.

पंजीकृत हस्तावेज बैयनामा कि 9 मई 1904 द्वारा श्री बलराम सिंह द्वारा चके 2 एकड़ 2 आना के मूठाना 57 पिसावा (0.07) बीघा सुवि भूमि का किया गया. तथा श्री बलराम सिंह की मृत्यु कि 228-1988 के बाद का दो-गण इनके लापत वारिसान हेतु प्रयाशुन सुवि भूमि को रक्तेदारों बाणित करवाने के आदेश जारी है.

॥ आदेश ॥

वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा परिणाम की चके 2 एकड़ 2 आना के मूठाने 57 पिसावा (0.07) बीघा सुवि भूमि का रक्तेदार बाणित किया जाता है. यथा शिर्षी अदालत.

निर्णय द्वारा कि 4-5-2011 की केस नं. 24 एकड़ 2 आना में सुनार्या नामक मूर हस्तांतर एवं न्यायालय की मुद्दा से निकल किया गया.



(Signature)
(यशपाल झाड़ला)
R.A.S.
सहायक कमिश्नर (PT)
न्यायालय नैनीताल (जागर हक)
केशवप्रसाद शास्त्री सल.